न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 100/2020 — तारीख रजू 12.10.2020

शशिकान्त पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी बहराण्डा कलॉ। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,बहराण्डा कलॉ। —————— रेस्पो0

निर्णय — दिनांक 10/2/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 55/20 मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बहराण्डा कलॉ के आराजी खसरा नम्बर 1398/38 रकवा 13 बिस्वा, किस्म चरागाह भूमि तार फेन्सिंग व गिट्टी रेत डालकर पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 60 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ क़ानून रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट द्वारा लिखित उत्तर पर विचार किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है जो अनोचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट की मॉ व ताईजी के खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है जिस पर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को अपीलान्ट के परिजनों ने श्री रामजीलाल शर्मा निवासी बहराण्डा कलॉ से क्रय की थी जिसका विक्रयम पत्र दिनांक 20.7.2009 को सम्पादित एवं पंजीयन हुआ है। यह है कि विवादित भूमि को चरागाह बताये जानें पर अपीलार्थी के परिवार की ओर से दिनांक 18.8.2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधापुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया उक्त भूमि यदि चरागाह है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 व 49 की अधीन एक्सचेंज की जा सकती है। उक्त तथ्य अपीलार्थी के परिवार द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किया गया है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि पटवारी हल्का ने उक्त खसरा नम्बर 1398/38 रकबा 13 बिस्वा की गलत प्रकार से अपने कार्यालय में बेठकर झूठी रिपोर्ट की है जबकि प्रार्थी/ अपीलान्ट द्वारा उक्त जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.01.28 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

को जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है जिसका लिखित स्टाम्प प्रार्थी/अपीलान्ट के पास उपलब्ध है। पटवारी द्वारा गतल तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जो अदालत मातहत द्वारा 60 दिवस की सजा का आदेश प्रति पादित किया है व निरस्त योग्य है। अदालत मातहत की पत्रावली में पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है मात्र पटवारी हल्का के बयान सलंग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.202020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट स्वंय को तामील हुई तथा तामील होने के पश्चात अतिचारी शशिकान्त स्वंय दिनांक 14.09.2020 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। यहां में उल्लेख करना चांहुगा कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अतिचारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया हो और पूर्व में किये गये अतिक्रमण से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तो अतिक्रमी सिविल कारावास के दण्ड का भागीदार होगा। पत्रावली में कही भी ऐसा दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। वकील अपीलान्ट का द्वारा बह में दिये गये तर्को व अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट कही भी पाश्चातवर्ती अतिचारी साबित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 21.09.2020 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/2/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.01.28 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर